(क) यदि वह व्यक्ति द्वीप परिषद का कोई सदस्य है और उनके खिलाफ धारा 87 की उप–धारा (2) तथा (3) में विहित रीति में कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि वह व्यक्ति द्वीप परिषद का कोई सदस्य न हो तो उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा उस व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिभार की राशि द्वीप परिषद के पास अदा करने का निर्देश देगा और यदि समय–सीमा के भीतर राशि अदा नहीं की जाती है तो उपायुक्त विहित रीति के अनुसार वसूली करेगा ।

(4) कोई व्यक्ति उप धारा (3) के अधीन उपायुक्त के किसी आदेश द्वारा व्यथित है तो इस आदेश के तिथि से तीस दिनों के भीतर सचिव जनजातीय को अपील दे सकता है ।

83. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद को वार्षिक रूप से पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान द्वीप परिषद के प्रशासन पर एक रिपोर्ट उपायुक्त के पास प्रस्तुत करनी होगी । प्रशासनिक रिपोर्ट

(2) रिपोर्ट चीफ कैप्टेन द्वारा तैयार किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे द्वीप परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके आधार पर द्वीप परिषद की संकल्प की प्रति के साथ उसे उपायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा ।

84. (1) उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्ति होगी :– कार्यवाही मंगाने की शक्ति

(क) मंगाने की शक्ति :–

(i) किसी द्वीप परिषद के कब्जाधीन अथवा नियंत्रणाधीन में किसी द्वीप परिषद की कार्यवाही, किसी पुस्तक, अभिलेख, पत्राचार अथवा दस्तावेज से कोई निष्कर्षण;

निरीक्षण अथवा परीक्षण के उद्देश्य के लिए कोई विवरण, योजना, अनुमान, ब्यौरा, लेखा अथवा रिपोर्ट ।

85. यदि किसी भी समय उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर चूक किया है, तो उसे लिखित आदेश द्वारा इस कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित करेगा और यदि निर्धारित अवधि के भीतर कर्त्तव्य का निष्पादन नहीं किया गया तो उपायुक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा और निर्देश देगा कि इस कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए खर्च की अदायगी चूक करने वाले द्वीप परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर जो उपायुक्त ठीक समझे, करना होगा । द्वीप परिषद द्वारा कर्त्तव्य के निष्पादन में चूक

86. (1) यदि उपायुक्त के विचार में द्वीप परिषद के किसी आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन अथवा कोई भी कार्य, जो द्वीप परिषद द्वारा अथवा द्वीप परिषद की ओर से किया जाना है अथवा किया जा रहा है, लोगों को चोट पहुँच रही है अथवा चोट पहुँच सकती है अथवा जिससे शान्ति भंग हो सकती है अथवा गैर कानूनी है, वे लिखित आदेश द्वारा उन कार्यों के निष्पादन को स्थगित अथवा प्रतिबंधित कर सकते हैं । द्वीप परिषद के आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन का स्थगन

(2) जब आयुक्त उप–धारा (1) के तहत कोई आदेश देता है तो वह उस आदेश को देने के कारणों के विवरण के साथ आदेश की एक प्रति प्रभावित द्वीप परिषद को भी भेजेगा ।

(3) उपायुक्त उन परिस्थितियों का रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय कल्याण को प्रस्तुत करेगा जिसके तहत इस धारा के अधीन आदेश दिया गया था और संघ राज्य क्षेत्र के सचिव, जनजातीय कल्याण, द्वीप परिषद को नोटिस देने और पूछताछ के बाद आदेश को निरस्त, संशोधित अथवा इसकी पुष्टि कर सकता है ।